न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 3/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 7.1.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी बडगांव उर्फ नान्दना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. नन्दकिशोर पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी बडगांव उर्फ नान्दना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

..... अपीलार्थी

बनाम

1. नगर विकास न्यास , जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शंम्भूदयाल विजय अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 28.10.2021

अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश कमांक प.() राजस्व–III/2016/1310 दिनांक 18.5.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश कमांक प.() राजस्व–III/2016/1310 दिनांक 18.5.2016 से विवादित आराजी ग्राम देवनगर उर्फ बोरतलाई पटवार हल्का गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा खसरा नम्बर 160/48 की 1.50 है0 एंव ख0 नं0 161/49 की 1.57 है0 कुल किता 2 की 3.07 है0 नहरी (सिवायचक) भूमि को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 के अनुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 (ए) के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को स्थानान्तरित करने से व्यथित होकर अपीलार्थीगया द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील इस आशय की पेश की गई कि विवादित आराजी सिवायचक कृषि योग्य भूमि नहरी होने के बावजूद आबादी विस्तार हेतु रेस्पो0 नं0 1 के नाम स्थानान्तरण कानून के विपरीत की है। अपीलांट वर्ष 2012 से ही उक्त कृषि योग्य आराजी को नीलामी पर रेस्पो0 नं0 2 से प्राप्त कर काश्त करते चले आ रहे है नीलामी बोली मे जमा की गई राशि की रसीद रेस्पो0 नं0 2 द्वारा बाद मे ही दी जाती रही है। वर्ष 2016 मे भी उक्त कृषि भूमि को नीलामी के मार्फत मुनाफा काश्त पर जुपाने हेतु चौथाई राशि जमा करवाकर कब्जा प्राप्त किया है जिसकी रसीद अपीलांट को नही दी गयी है और अपीलांट नं0 1 को महेश पुत्र मोहनलाल के नाम से संबोधित करते हुये नोटिस दिनांकित 22.6.2016 प्रेषित कर रेस्पो0 नं0 2 बोली निरस्त करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। अपीलांट कम 1 ने फसल बो गरडा बो रखी है जिस पर अपीलांट नं0 1 का कब्जा चला आ रहा है रेस्पो0 नं0 2 को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। उक्त आराजी अपीलांट के पिता के खाते की थी और सीलिंग मे अधिग्रहण करने के पश्चात उक्त आराजी सीलिंग सिवायचक दर्ज हुई है और कृषि योग्य है। नीलामी का आदेश पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। सीलिग सिवायचक कृषि योग्य भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति मे आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक

18.5.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट नं0 1 के पक्ष मे नीलामी बहाल रखी जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गयी।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया जाकर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि की नीमाली अपीलांट के नाम छोडी गई थी। बाद मे रेस्पो0 ने नीलामी खारिज दी जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। बहस मे यह भी बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता के खाते की थी जो सीलिंग मे अधिग्रहण करने के पश्चात सीलिंग सिवायचक दर्ज हुई है जो कृषि योग्य भूमि है। अतः आलौच्य आदेश पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 श्री शंभूदयाल विजय ने बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक थी। सिवायचक भूमि के संबध मे अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अगर किसी प्रकार से अपीलांट हितबद्ध थे तो इनको सक्षम न्यायालय मे रेगूलर वाद प्रस्तुत कर अपने हक हकूको को तय कराना था। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी के कब्जे के संबध मे घोषणा का वाद पेश नही किया है तथा ना ही पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध है। अतः अपीलांट विधिक तौर पर कोई अनुतोष प्राप्त करने वैधानिक अधिकारी नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। जिला कलक्टर कोटा द्वारा आलौच्य आदेश कमांक प.() राजस्व–III/2016/1310 दिनांक 18.5.2016 से विवादित आराजी ग्राम देवनगर उर्फ बोरतलाई पटवार हल्का गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा खसरा नम्बर 160/48 की 1.50 है0 एंव ख0 नं0 161/49 की 1.57 है0 कुल किता 2 की 3.07 है0 नहरी (सिवायचक) भूमि को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 के अनुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 (ए) के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को स्थानान्तरित की गई है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है उक्त भूमि नीलामी मे उसके नाम छोडी गई थी बाद मे नीलामी खारिज की गई जिसका रेस्पो0 को कोई अधिकार नही है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 का कथन है कि विवादित आराजी सिवायकचक थी ऐसी स्थिति मे अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही है। किसी प्रकार से हितबद्ध है तो सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर हक हकूक तय कराना चाहिये। विधिक तौर पर अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से अपील खारिज योग्य है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से एंव अभिभाषक उभय पक्षकार के उपरोक्त तर्क पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त आराजी नहरी (सिवायचक) है जिसके संबध मे अपीलार्थी को कानूनी तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। हम विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 के इस मत से सहमत है कि यदि अपीलार्थी के वादग्रस्त आराजी के संदर्भ मे किसी प्रकार हितबद्ध है तो उसको सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर हक हकूको को तय कराया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबध मे अपीलार्थी द्वारा घोषणा का वाद पेश नही किया है तथा ना ही पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। अतः उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश को न्यायोचित पाते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भटनागर)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा